2025/453

पेशीज
21-7-2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

फुलगर बनाम धनगर आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 101 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.06.2025	प्रार्थी फूलगर की तरफ से वकील श्री सन्तलाल बिजारणिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मोजा हमीरदेसर के खाता सं. 81／168 के ख.नं. 166／1 की 1.5810 है., ख.नं. 255 की 4.6540 है. ख.नं. 325／1 की 0.1770 है., ख.नं. 348 की 1.5810 है, ख.नं. 632／187 की 4.5780 है., 84／494 की 1.2270 है. कुल 13.7980 है. भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 21.07.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
21.7.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी का राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है सो मुकदमा खारिज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र सो [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	फूलगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.07.24 16:02:53 IST
Reason: SelfAttested